न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 422/2022

उनवान

श्रीमति लीला देवी पत्नी लादूराम जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1–3 उगमा, अर्जुन, हरजी पिता मांगू जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
4– देवकिशन पुत्र बालू जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
5– खाना पुत्र गोपाल जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
6– रंगलाल पिता मगना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
7– समोक पत्नी रामस्वरूप जाट निवासी रामपुरा (चलानिया) तहसील शाहपुरा
8– रामपाल पुत्र हीरा जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा
9– रणजीत पुत्र खाना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री रामप्रसाद जाट : अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 1, 2, 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2023

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **चलानिया पटवार हल्का लुलास** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1174 रकबा 0.25 है0, 1177 रकबा 0.041 है0, 1738/443 रकबा 0.57 है0, 444 रकबा 0.12 है0, 445 रकबा 0.38 है0, 446 रकबा 0.21 है0, 447 रकबा 0.80 है0, 567 रकबा 0.43 है0** कुल किता **8** रकबा **2.80** हैक्टेयर की प्रार्थीया **खातेदार काश्तकार** है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित वादग्रस्त कृषि आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है जो प्रार्थीया से आये दिन आराजियात की हकाई, बुवाई, फसल की कटाई व घास की कटाई करते समय सीमा संबंधी विवाद करते है और लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू रहते है। एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.12.2022 को विपक्षीगण 0 1, 2, 3 की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद जाट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाकर जवाब प्रार्थना के अवसर चाहा। विपक्षीगण सं0 **विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 9** बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। दिनांक 05.06.2023 को विपक्षीगण 4 लगायत 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी। विपक्षीगण सं0 1, 2, 3 की ओर से अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थिया को उपलब्ध करवाई गयी। प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 19.06.2023 को बहस अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गयी। प्रकरण वास्ते निर्णय के दिनांक 28.06.2023 के नियत किया गया।

बहस में अभिभाषक प्रार्थीया ने बताया कि प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार है। जिस हेतु जमाबंदी की नकल प्रस्तुत है। प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार होने से प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि आराजियात संयुक्त खातेदारी में थी। जिसका बंटवाड़ा का आदेश इस न्यायालय द्वारा दिया गया। आदेश की पालना में जो बंटवाड़ा स्कीम तैयार की गयी वह माप परिमाप के आधार पर तैयार नहीं की गयी। एवं नहीं कब्जे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। बंटवाड़ा स्कीम तैयार किय जाने से पूर्व विपक्षीगण की कोई सूचना नहीं दी गयी। बंटवाड़ा स्कीम पर विपक्षीगण की ओर से उपस्थित नहीं हुआ है। बंटवाड़े में उपजाउ भूमि प्रार्थीया को दे दी गयी जबकि विपक्षीगण को बंजड़ भूमि दी गयी। साथ ही बंटवाडे के वाद का निस्तारण भी एतरफा कार्यवाही करते हुए किया गया है। इसी से व्यथित होकर मूल वाद में निर्णय के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील की जा चुकी है। जिसके समर्थन में अपील की प्रमाणित प्रति एवं आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। चूंकि पूर्व में भूमि संयुक्त खातेदारी में थी एवं वर्तमान में भी मौके पर संयुक्त रूप से ही है। तथा पत्थरगढी के पश्चात प्रार्थीया द्वारा कब्जेयाबी का दवा प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उक्त बंटवाड़ा वाद के विरूद्ध अपील के निस्तारण तक पत्थरगढी नहीं की जावे। एवं प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इसके विरोध में अभिभाषक प्रार्थीया ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं केवल अपील किये जाने के आधार पर खातेदार को अपनी खतेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराये जाने नहीं रोका जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

मैने बहस पर मनन, प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तवेजात कर अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि पूर्व में भूमि संयुक्त खातेदारी में थी जिसका बंटवाड़ा कराये जाने के पश्चात आराजियात प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज की गयी है। किन्तु मूल वाद में बंटवाड़े के निर्णय के विरूद्ध माननीय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा में अपील की जा चुकी है। एवं अपील का संबंध प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात से होकर अपर न्यायालय के निर्णय से प्रभावित होगी। अतः उक्त आराजियात के संबंध में अपर न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं। अपील निर्णय के अध्यधीन प्रार्थिया पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

—: आदेश :—

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **28.06.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा